

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन मकदूल आलम रोड, वाराणसी
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अधीन आवेश

दिनांक 05.03.2013

संस्था/व्यक्ति Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi

पैन नं०-AABTN6754D

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1) की उपधारा (b) में निहित शक्तियों के तहत संस्था/व्यक्ति Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए दिनांक 01.04.2012 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्यायसंगत होगा।

- (1) संस्था/व्यक्ति अपनी आय को पूर्ण या आंशिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी जहां ऐसी आय भारत में एक प्रयोजन के प्रयोग के लिए जान हेतु संचित की जाती है, बल्कि उसे परिष्कार तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गयी आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई परिचित जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगा तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (2) संस्था/व्यक्ति अपनी निवेश का आयकर अधिनियम की धारा 11(5) में निर्दिष्ट स्वरूप और मात्रा में अनुसूचित रखेगी।
- (3) यह आवेश व्यापार से सम्बंधित किसी प्रकार का काम नहीं होगा। यह सिवाय उन परिस्थितियों का छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के तत्त्वों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं इस व्यापार की लेखा बहिया अलग से रखी जाए।
- (4) संस्था/व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के प्राधान्य के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (5) संस्था/व्यक्ति अपने आय का सही और सत्य विवरण निर्दिष्ट धर्म सम्प्रदाय या धर्म के नाम से प्रकाश नहीं करेगी।
- (6) संस्था/व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम से आय को प्राप्त या जमावत के प्रयोजन से व्यय नहीं करेगी।
- (7) प्राप्त आय में यह धारा 12ए के तहत संस्था/व्यक्ति को किया क्लेम उल्लेख उद्योगों से किए जायत, इसमें से आयकर संस्था/व्यक्ति को किया क्लेम प्रमाणित (Genuine) नहीं रहता आयकर अधिनियम की धारा 12AA(3) के अन्तर्गत इस पंजीकरण का रद्द किया जा सकता है।
- (8) धारा 12ए के अन्तर्गत की पंजीकरण को जबतक संस्था/व्यक्ति का संविद्वार ऑफ साराइटी के सही पंजीकरण आ जाता है तब तक ही मान्य होगा।

sd/-

(दीर्घनामिका)
आयकर आयुक्त वाराणसी

दिनांक 05.03.2013

फाइल नं० आ.आ.आ. 62/12ए/वाराणसी/88/2012-13

/236/

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित -

1. संस्था/व्यक्ति को संस्था/ Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi
2. अपर, समुक्त आयकर आयुक्त पं० नं० 111/III वाराणसी।
3. संस्था/व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से 13 तक कर मुक्ति के लिए प्रेषित भरी है। संस्था/व्यक्ति द्वारा उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आय को प्राप्त करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 के प्राधान्य के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी शर्तों का पालन करना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत इस पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

(Handwritten Signature)

(सी.पी.ओ.सहा)

आयकर अधिनियम 1961
के अन्तर्गत आयकर
वाराणसी

